संख्या-8/2018/383/33-3-2018-02/2016

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- **निदेशक,**
पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश।

2- **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक- 23 फरवरी, 2018**

विषय:-14वें वित्त आयोग के निष्पादन अनुदान के लिए पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार से जारी दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4/2018/2760/33-3-2017-02 /2016 दिनांक 12.02.2018 द्वारा वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के लिए 14वें वित्त आयोग की परफारमेन्स ग्राण्ट के वितरण हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किया गया था। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 में यह व्यवस्था दी गयी थी कि ग्राम पंचायतों से आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि दिनांक-22.02.2018 तथा परीक्षणोंपरान्त सूचियां निदेशक, पंचायतीराज को दिनांक-28.02.2018 तक साफ्ट व हार्डकापी में अनिवार्यत: उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त शासनादेश के साथ अनुबन्ध-1 संलग्न किया गया था, जिसमें वर्ष 2017-18 के लिए ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत कार्य निष्पादन अनुदान के संवितरण हेतु मूल्यांकन मानदण्ड निर्धारित किए गए थे। अनुबन्ध-1 में त्रुटिवश समयावधि 2015-16 व 2016-17 अंकित हो गयी है, जबकि शासनादेश में संपरीक्षा लेखे के लिए वर्ष 2014-15 व 2015-16 का उल्लेख है।

2- निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 के पत्र संख्या-8/70/2018-8/17/2017 दिनांक 21.02.2018 द्वारा ग्राम पंचायतों से आवेदन प्राप्त करने की तिथि तथा परीक्षणोंपरान्त सूचियां निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 को उपलब्ध कराने की तिथि को आगे बढ़ाने के साथ ही साथ अनुबन्ध-1 को संशोधित करने का अनुरोध किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.nic.in

3- अत: निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 के पत्र दिनांक 21.02.2018 में किए गए अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **उक्त शासनादेश दिनांक 12.02.2018 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए ग्राम पंचायतों से आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि दिनांक-28.02.2018 तथा परीक्षणोंपरान्त सूचियां निदेशक, पंचायतीराज को दिनांक-08.03.2018 तक साफ्ट व हार्डकापी में अनिवार्यत: उपलब्ध कराये जाने हेतु समय-सीमा बढ़ाई जाती है।** इसी के साथ ही साथ शासनादेश दिनांक 12.02.2018 के साथ संलग्न अनुबन्ध-1 को निरस्त करते हुए नए अनुबन्ध-1 जो संलग्नक के रूप में है, के अनुसार सूचना निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4- शासनादेश संख्या-4/2018/2760/33-3-2017-02/2016 दिनांक 12.02.2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उक्त शासनादेश दिनांक 12.02.2018 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasana

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3- प्रमुख स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- स्टाफ अधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
5- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
7- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
8- समस्त जिलाधिकरी, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

10- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उत्तर प्रदेश।

11- समस्त जिला पंचायत अधिकारी उ0प्र0।

आज्ञा से

(जितेन्द्र बहादुर सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुबंध-1

भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

वर्ष 2017-18 के लिए ग्राम पंचायतों को चौदहवें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य निष्पादन अनुदान के संवितरण हेतु मूल्यांकन मानदंड

1.कार्य निष्पादन अनुदान के अपने हिस्से की पात्रता पर विचार करने के लिए ग्राम पंचायतों को अनिवार्य रूप से निम्न शर्तों को पूरा करता होगा:-

क्र.सं.	अनिवार्य मापदंड	अधिभार	पात्रता की स्थिति (हाँ/नहीं)
i	ग्राम पंचायतों को उस वर्ष के संपरीक्षित लेखे प्रस्तुत करने होंगे जो कि उस वर्ष, जिसमें ग्राम पंचायत ने कार्य निष्पादन अनुदान का दावा प्रस्तुत किया है, से पिछले दो वर्षों (वर्ष 2014-15 व 2015-16) से अधिक पुराने न हो।	अनिवार्य	
ii	ग्राम पंचायतों को पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अपने राजस्व में बढ़ोत्तरी दर्शानी होगी जैसा संपरीक्षित लेखाओं में दर्शाया गया है। (वर्ष 2014-15 के सापेक्ष वर्ष 2015-16 की स्थिति)	अनिवार्य	
iii	कार्य निष्पादन अनुदान के वर्ष में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) को पूरा करना तथा प्लान प्लस पोर्टल पर अपलोड करना	अनिवार्य	
iv	कार्य निष्पादन अनुदान का दावा किए जाने वाले वर्ष के पूर्व के वर्ष 2016-17 का चौदहवें वित्त आयोग अनुदान का कार्यवार व्यय पंचायती राज मंत्रालय के डैश बोर्ड/ बेवसाइट पर दर्शाना	अनिवार्य	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नोटः-पात्रता की स्थिति आवेदक द्वारा भरी जाएगी।

2. ग्राम पंचायतें, जिन्होंने उपर्युक्त चार मानदंडों को पूरा कर लिया है का मूल्यांकन नीचे दिये गए अंकन पद्धति के अनुसार किया जायेगा।

क्र. सं.	मानदंड वर्ष वित्तीय वर्ष के रूप में	ग्राम पंचायत का स्वयं का राजस्व वर्ष 2015-16	ग्राम पंचायत का स्वयं का राजस्व वर्ष 2016-17	स्वयं के राजस्व में वर्ष 2015-16 के सापेक्ष 2016-17 में वृद्धि की मात्रा प्रतिशत में	अधिभार	प्राप्तांक
					अंक	
	>0 से 10 प्रतिशत तक				05	
	>10 से 25 प्रतिशत तक				10	
	>25 से 50 प्रतिशत तक				15	
	>50 प्रतिशत तक				20	

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ii	कार्य निष्पादन अनुदान के दावे के पिछले वर्ष 2016-17 के चौदहवें वित्त आयोग के मूल अनुदान से लेखा परिक्षित लेखाओं के अनुसार स्वयं के राजस्व की मात्रा में प्रतिशत वृद्धि	1	2	3	अंक	प्राप्तांक
		वर्ष 2016-17 में स्वयं का राजस्व	वर्ष 2016-17 में ग्राम पंचायतों को प्राप्त मूल अनुदान	स्तम्भ (1/2)*100		
	>0 से 10 प्रतिशत तक				15	
	>10 से 20 प्रतिशत तक				20	
	>20 से 30 प्रतिशत तक				30	
	>30 प्रतिशत तक				40	
iii	निष्पादन अनुदान दावे के वर्ष की तुलना में पूर्व वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत की खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) की स्थिति					
	हां				30	
	नहीं				0	

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

iv	निष्पादन अनुदान के दावे के वर्ष की तुलना में पूर्व वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत में टीकाकरण पूर्ण टीकाकरण (0-2 वर्ष की आयु)		
	हां	10	
	नहीं	0	
v	कुल अधिकतम अंक (i+ii+iii+iv)	100	

3. ग्राम पंचायतों को निष्पादन अनुदान का वितरण रू.

नीचे दी गई तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार ग्राम पंचायतों को उनके अंक के आधार पर निष्पादन अनुदान का वितरणकिया जाएगा रू.

अंक	निष्पादन अनुदान की पात्र मात्रा
49 अंक तक	आवंटन का 50 प्रतिशत
50 से 60 तक	आवंटन का 70 प्रतिशत
61 से 70 तक	आवंटन का 80 प्रतिशत
71 से अधिक	आवंटन का 100 प्रतिशत

नोटः-प्राप्तांक आवेदक द्वारा भरे जाऐगें।

अगले वर्ष से खुले में शौच मुक्त की निरंतरता खुले में शौच मुक्त बनने वाली ग्राम पंचायतों के लिए मानदंड होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सचिव का नाम

ग्राम पंचायत का नाम.....

पदनाम.....

हस्ताक्षर.....

प्रधान का नाम

ग्राम पंचायत का नाम.....

पदनाम.....

हस्ताक्षर.....

.....

.....

<u>जनपद स्तरीय समिति की परीक्षणोंपरान्त बिन्दुवार टिप्पणी व अंक:-</u>

1-	**अनिवार्य मापदण्ड**(पूर्ण / अपूर्ण)	1	2	3	4

क्या ग्राम पंचायत उक्त चार अर्हताओं को पूर्ण करती है।

हाँ / नहीं.....

2-	**प्राप्त अंको का विवरण**			
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
कुल प्राप्त अधिकतम अंक (i+ii+iii+iv) =V				

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ह0 सदस्य/सचिव समिति

जिला पंचायत राज अधिकारी

जनपद.....

ह0 सदस्य

अपर मुख्य अधिकारी

जिला पंचायत.....

ह0 अध्यक्ष समिति

मुख्य विकास अधिकारी

जनपद.....

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।